

मि.सं. 29-80/2016-स्थापना/आर.टी.आई.
भारत सरकार
विस्तार निदेशालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि विस्तार भवन

दिनांक 12th अगस्त, 2016

सेवा में,

श्री उदय कुमार,
पुत्र श्री स्व. कालिका प्रसाद,
बी.पी.ओ लाही,
जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री जयप्रकाश मिश्र, नई दिल्ली द्वारा "किसानों की योजनाओं के संबंध में" सूचना मांगी है।

महोदय,

जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 26.07.2016 के आपका पत्र, जो कि इस विस्तार निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली से दिनांक 29.07.2016 को प्राप्त हुआ है। उसके संबंध में विस्तार निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार की सूचना इस पत्र के साथ सलग्न है।

2. आपको अवगत कराया जाता है कि यदि आप इस सूचना से सहमत नहीं हैं तो आप प्रथम अपील अधिकारी को इस पत्र के मिलने से 30 दिन के अन्दर प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नलिखित है।

श्री पी० एस० आरमोरीकर, निदेशक (विस्तार प्रशिक्षण),
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कमरा सं० 203, कृषि विस्तार भवन,
पूसा, नयी दिल्ली-110012
011-2584 3404, ई मेल : p.armorikar@nic.in

साजित कुमार
12/08/2016

(साजित कुमार कुनहालत)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं
संयुक्त निदेशक (विस्तार)

(Ph.011-25 34 3949 and e-mail Id= jdext-agri@gov.in)

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. Sh. Vijay Rajmohan, Director (Extn.) & CPIO, Extension Division, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Room No.188A, Krishi Bhavan, New Delhi with reference to their letter No.9-1/2016-Extn./RTI (Vol.11) dated 28th July, 2016 for kind information please.
2. Smt. Rita Gadhook, Section Officer (RTI), Deptt. of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Krishi Bhavan, New Delhi.

~~श्री उदय कुमार, पुत्र श्री स्व. कालिका प्रसाद, बी.पी.ओ लाही, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।~~

✓ Sr. Technical Assistant (NIC)
349 Krishi Bhavan New Delhi

क्रम सं.	उत्तर
1.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'राज्य विस्तार कार्यक्रमों के विस्तार सुधार हेतु वर्ष 2005 से अमल में है जिसे 'आत्मा' योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी आवश्यकता आधारित एक सशक्त विस्तार प्रणाली प्रदान करना है जिसमें जिला स्तर पर आत्मा नामक स्वसयत्तशासी संस्था के माध्यम से राज्य के विस्तार तंत्र में सुधार लाना है। इस योजना के अन्तर्गत, किसान विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से लाभांशित होते हैं, जैसे कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन, भ्रमण, किसान मेला, कृषक समूह का गठन व किसान पाठशालाओं की स्थापना, आदि। योजना के अन्तर्गत धनराशि राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक राज्य विस्तार कार्य योजना के आधार पर जारी की जाती है। इस समय यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों तथा 821 ब्लॉक समेत देश के 29 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के 652 जिलों में क्रियान्वित है। योजना की गाइडलाइन www.agricoop.nic.in पर देखी जा सकती है।
2.	संबंध नहीं।
3.	संबंध नहीं।
4.	संबंध नहीं।
5.	संबंध नहीं।
6.	संबंध नहीं।
7.	संबंध नहीं।
8.	संबंध नहीं।
9.	संबंध नहीं।
10.	संबंध नहीं।

साजित कुमार
12/08/2016